प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक ,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 12 जून, 2018**

विषयः- संस्थान परिसर में टाइप-4 के आवासीय भवनो (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निमार्ण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित आगणन की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-84/182/2018, दिनांक 24-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में टाइप-4 के आवासीय भवनो (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निमार्ण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1874/71-2-14-पी-32/2012 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा रू0 1926.76 लाख प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 1830.422 लाख (रूपया अट़ठारह करोड तीस लाख बयालिस हजार दो सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	1874/71-2-14-पी-32/2012 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014	770.70 लाख
2	16/3934/71-2-14-पी-32/2012 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014	161.85 लाख
3	75/2015/2899/71-2-15-पी-32/2012 दिनांक 28 अगस्त, 2015	533.00 लाख
4	11/2017/189/71-2-17-पी-32/2012 दिनांक 06 फरवरी, 2017	364.872 लाख
	योग-	**1830.422 लाख**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0 परिसर में टाइप-4 के आवासीय भवनो (जी+10 मंजिल) 40 नग के निमार्ण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित तथा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 21-4-2018 में अनुमोदित लागत रू0 2695.03 लाख 0 छब्बीस करोड पन्चानवें लाख तीन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. संस्थान के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का कार्य पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथा शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
3. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. विश्वविद्यालय के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव की होगी।
6. संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
7. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/पोस्ट आफिस आदि में नहीं रखा जायेगा।
8. संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
9. प्रायोजनान्तर्गत वर्क टू बी डन के अंतर्गत प्रस्तावित जी0एस0टी0 को फिलहाल अनुमन्य नहीं है, जो नियमानुसार देय होगी।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित कियेजाने का समस्त उत्तरदायित्व संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
11. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इस सम्बन्ध में निदेशक/वित्त अधिकारी संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1486/दस-2018, दिनांक 12 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-97/2018/1061(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in